संख्या– 3161 /86–2018–183/2011

प्रेषक,

आत्मा राम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊः दिनॉक 31 दिसम्बर, 2018

विषयः–प्रदेश में खनिजों के भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अन्तर्गत खनिजों के भण्डारण की अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था में आ रही कतिपय कठिनाईयों के दृष्टिगत उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 को अधिकमण करते हुये, आम जनमानस को सुगम रूप से खनिजों को उपलब्ध कराये जाने एवं खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 संलग्न अधिसूचना दिनांक 20.12.2018 द्वारा प्रख्यापित कर दी गयी है।

2. अतः खनिजों के भण्डारण के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खनिजों के भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था अपनाई जायेगीः–

1. उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 के अंतर्गत स्वीकृत की गयी भण्डारण अनुज्ञप्तियां नियमावली, 2018 लागू होने से व्यपगत हो चुकी हैं। पूर्व में स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञप्तिया जिन पर भण्डारित खनिजों का निस्तारण नहीं हो पाया है, को नियमावली 2018 लागू होने के दिनांक से भण्डारित खनिजों के निस्तारण हेतु 01 माह का समय प्रदान किया जायेगा। उक्त अवधि के उपरान्त भण्डारित खनिज राज्य सरकार की सम्पत्ति मानी जायेगी और ऐसी सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश सं0–2595/86–2018–12(सा0)/2018 दिनांक 03.12.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. नियमावली, 2018 के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रपत्र 'क' पर आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगाः–

(एक) विहित अप्रतिदेय फीस रू0 10,000/– का मूल चालान और खनिज स्टाक के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा की रसीद (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0) जो जिलाधिकारी के पक्ष में बंधक हो।

(दो) भूमि के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज।

(तीन) भू–कर मानचित्र, नजरीनक्शा।

(चार) चरित्र प्रमाण पत्र।

(पांच) आवेदित भण्डारित खनिज की मात्रा की 10 प्रतिशत रायल्टी से अन्यून का ऋण शोधन प्रमाण पत्र।

(छः) इस आशय का शपथपत्र कि आवेदक चोरी या तस्करी या अवैध खनन या अवैध परिवहन या अवैध खनिज भण्डारण से संबंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है।

(सात) जिलाधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य खनन देयों से सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

Raj Go

3. जिलाधिकारी इस नियमावली के अधीन ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे कराये जाने के उपरान्त, ऐसी मात्रा के लिये जो उसके द्वारा उचित व उपयुक्त समझी जाये के लिये अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत करने का निर्णय लेगा।

4. जिलाधिकारी एक समय में तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये प्रपत्र 'ख' में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति करेगा अथवा आवेदन प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकृत कर देगा और उसकी सूचना आवेदक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जायेगा।

5. जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित निर्बन्धन के आधार पर भण्डारण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जायेगी:-

(एक) समस्त खनन पट्टाधारकों को छोड़कर।

(दो) ऐसे आवेदित क्षेत्र, जो खनिज के स्त्रोत से दस किलोमीटर के घेरे में हो को छोड़कर।

(तीन) ऐसे व्यक्ति, जो न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये गये हो को छोड़कर।

(चार) ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने अपनी पूर्व अनुज्ञप्ति की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन किया हो को छोड़कर।

(पांच) ऐसी कम्पनी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की परिधि में नहीं हो को छोड़कर।

(छः) ऐसे व्यक्ति, जो राष्ट्रीय नागरिक नहीं हो को छोड़कर।

6. भण्डारण अुनज्ञप्ति स्वीकृति हेतु शर्तें:-

(एक) अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण स्थल पर प्रमुखता से विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी को स्टाक के समुचित अनुश्रवण हेतु सीसीटीवी कैमरा और जांच-द्वार अभिनियोजित करना होगा तथा उसकी रिकार्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगा।

(तीन) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक 30 जून को बालू/बजरी/मोरम की भण्डारित मात्रा के 90 प्रतिशत स्टॉक का निस्तारण करते हुए, इस आशय का घोषणा पत्र अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(चार) जिलाधिकारी ऐसी अग्रतर शर्त अधिरोपित कर सकता है, जो लोकहित में आवश्यक हो।

7. भण्डारित उपखनिजों का परिवहन प्रपत्र 'ग' व मुख्य खनिजों का परिवहन प्रपत्र 'छ' के द्वारा किया जायेगा, जिसका लेखा अद्यावधिक स्थिति में भण्डारित स्थल पर रखना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रपत्र-'ड.' में मासिक विवरणी जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

8. फुटकर विक्रेता, जो अधिकतम 100 घन मी0 तक खनिज की मात्रा भण्डारित कर सकते हैं, को भण्डारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन्हें स्वयं का विवरण वेब पोर्टल dgmup.in पर आनलाईन दर्ज करना होगा और साथ ही साथ सम्बन्धित जिले के खान अधिकारी को प्रपत्र 'घ' में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करनी होगी।

9. प्रदेश के स्टोन क्रेशर उद्योग उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 से आच्छादित नहीं होंगे।

10. भण्डारण अनुज्ञप्ति अधिकतम् दो वर्ष के लिये इस शर्त पर नवीकृत की जा सकती है कि अनुज्ञप्ति की शर्तो का अनुपालन कर लिया गया है।

11. जिलाधिकारी अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान किसी भी समय अनुज्ञप्ति की शर्तो के भंग किये जाने पर अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी को कारण बताओ नोटिस तामील किये जाने से प्राप्त स्पष्टीकरण का समाधान हो जाने पर वह ऐसे निलम्बन को प्रत्याहृत कर सकता है और अनुज्ञप्तिधारी को कारोबार करने की अुनज्ञा दे सकता है अन्यथा अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में संसूचित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द कर, राज्य सरकार के पक्ष में जमा प्रतिभूति सम्पहृत कर सकता है।

12. उक्त नियमावली की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का उल्लंघन किये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा रू0 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) तक की शास्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ खनिज के मूल्य की वसूली की जायेगी। उक्त शास्ति की धनराशि जमा करने में विफल रहने पर सम्बन्धित अनुज्ञप्ति के सापेक्ष जमा की गई प्रतिभूति धनराशि से अधिरोपित शास्ति की कटौती कर ली जायेगी। यह अधिकार भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा।

13. अनुज्ञप्तिधारी जिलाधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध होने की दशा में प्रपत्र–'च' में सम्बन्धित आयुक्त के समक्ष 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है।

अतः खनिजों की भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के प्राविधानों के साथ–साथ उक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक–अधिसूचना दिनांक 20.12.2018

भवदीय,

(आत्मा राम)
विशेष सचिव।

संख्या– (1)/86–2018–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

संलग्नक–अधिसूचना दिनांक 20.12.2018

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

Raj Go